भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1616

उत्तर देने की तारीख-21/12/2022

देश की दोषपूर्ण शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था

1616 **श्री आर· गिरिराजन:**
श्री एस· कल्याणसुन्दरम:
श्री एम· मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश की दोषपूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रणाली हमारे शिक्षकों को तैयार नहीं करती है क्योंकि न तो उनमें पर्याप्त रूप से शैक्षणिक क्षमता है और न ही उन्होंने यह सीखा है कि बच्चों को प्रभावी ढंग से कैसे संभालना है; और
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और **(**ख**):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, शिक्षकों को सशक्त बनाती है और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, भर्ती, सतत व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण के माध्यम से उन्हें अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में रखती है। एनईपी, 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों को बेहतर पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र संबंधी ज्ञान से लैस करके पायलट आधार पर चार वर्ष के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की शुरुआत की है। इसी तरह, शिक्षकों की क्षमताओं में संवर्धन करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और वरिष्ठ एवं अवकाशप्राप्त शिक्षकों द्वारा स्कूल शिक्षकों की व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) प्रायोगिक अध्ययन चरण में हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए दीक्षा मंच पर निष्ठा-स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। निष्ठा कार्यक्रम माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए निष्ठा **2.0** और प्री-प्राथमिक से कक्षा **V** तक के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए निष्ठा **3.0 -** बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) तक विस्तारित किया गया है।

*****